

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली बैठक रतलाम 17 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम शहर को नम्बर 1 बनाने हेतु निगम स्तर पर कये जा रहे व कये जाने वाले कार्यों की समीक्षा निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने लेकर रतलाम नगर को स्वच्छ बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये। नगर निगम सभागृह में आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निर्देश कया क रतलाम नगर को स्वच्छ बनाने हेतु नगर के 100 प्रतिषत घरों से गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक लये जाने हेतु नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है इस हेतु नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्य नगर के सभी नागरिकों को जागरूक करें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिये क नागरिकों को होटल व्यवसायीय दुकानदार कचरा पृथक्कीकरण के लये अपने घरों दुकानों व व्यासायिक प्रतिष्ठानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीय फल-सब्जी के छिलकेय घांस व पेड़ की पत्तियांय राखेय चाय पत्तीय बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनय सूखा कचरा अर्थात् पुस्टाय अखबारय लोहाय कपडाय शालय कांचय पैकंग मटेरियलय टुटे खलौनेय प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनय घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेय पेस्टीसाइड के डब्बेय सीएफएलय ट्यूबलाईटय थर्मामीटरय बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मेडकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनय डायपरय सुईय संरिजय मास्कय ग्लब्सय पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखें इसका वृहद रूप से प्रचार-प्रसार करवाया जाये।

आयोजित बैठक में नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था द्वारा नगर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कये जाने हेतु आयोजित की जा रही गति व धर्यों की जानकारी ली।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देश कया क स्वच्छ भारत मषन में नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्थित रूप से रखी गई निर्माण सामग्री को जब्त कर संबं धत के वरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही करें साथ ही नगर के सुलभ व सार्वजनिक षौचालयय मूत्रालयों में आवश्यक मरम्मतय रंगाई-पुताईय पेयजल सप्लायय पर्याप्त प्रकाष व्यवस्था करवाये जाने के निर्देश संबं धतों को दिये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने यह भी निर्देश दिये क नगर के नाले की पु लयाओं पर जाली लगवाई जाये ता क कोई भी उसमें कचरा ना डाल सकें साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का संदेश देने वाली वॉल पेंटिंग करवाई जाये।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 हेतु प्रतिदिन कये जा रहे कार्य व गति व धर्यों की जानकारी व्हाट्स ऐप ग्रुप मे अपलोड करने के निर्देश के साथ ही खुले में षौच व पेषाब करने वाले व्यक्तियों वषेशकर बहारी क्षेत्रोंय औद्योगिक क्षेत्र रेलवे लाईन पर निगरानी रखी जाकर संबं धतों के

वरूद्ध पु लस कार्यवाही कये जाने के निर्देश संबं धतों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये।

सुलभ षौचालयों में वें डग मशीनए इन्सीरेटर मशीनए हेण्ड ड्रायर व फीड बैक मशीन चालू हालत में रखे जाने व प्रत्येक वार्ड में माडल क्षेत्र बनाने हेतु ऐसे स्थल जहां पर नालियां ढंकी होए डवाईडर लगे होए फुटपाथ पर ग्रील लगी हो को चन्हित कर जानकारी प्रस्तुत कये जाने के निर्देश दिये।

बैठक में आमंत्रित श्री हरीष षर्मा द्वारा बताया गया क स्वच्छता के क्षेत्र में रतलाम नगर निगम प्रशासन पुरी मेहनत कर रहा है कन्तु इसमें नागरिकों की भागीदारी होना आवष्यक है। नागरिकों इस कार्य में जोड़ने हेतु स्वच्छता गीतए स्वच्छता पर आधारित छोटे व डयो आदि तैयार कर सोष्यल म डया पर डाले जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री भ वश्य कुमार खोब्रागडेए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए श्री एम.के. जैनए सहायक यंत्री श्री प्याम सोनीए श्री अनवर कुरेष्ीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उपयंत्री श्री राजेन्द्र मश्राए सुहास पंडतए भैय्यालाल चौधरीए राजेष पाटीदारए वकास संह मरकामए मनीश तिवारीए सद्धार्थ सोनीए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए श्रीमती अनिता ठाकुरए स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाडेए श्री करण चौहानए उद्यान पर्यवेक्षक श्री अनिल कुमार पाराए श्री धर्मन्द्र दोगायाए सहायक राजस्व निरीक्षक श्री वासुदेव बैरागी के अलावा नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के टीम लीडर फरोज व अन्य सदस्य उपस्थित थे।

**2 नालो की सफाई का कार्य प्रारंभ**

रतलाम 17 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर कया जा रहा है।

नगर निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा 17 दिसम्बर गुरुवार को सुभाष नगर व त्रिलोक नगर वाले नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीनए डम्परए व गैंग द्वारा प्रारंभ करवाया गया।

कस्तुरबा नगर टंकी से सफलतापूर्व प्रतिदिन कया जा रहा है पेयजल वतरण

रतलाम 17 दिसम्बर । 14 दिसम्बर सोमवार से कस्तुरबा नगर टंकी से प्रतिदिन पेयजल वतरण की षुरूआत वधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप द्वारा कये जाने के बाद नगर निगम द्वारा टंकी के दोनो झोन के क्षेत्रों में 15ए 16 व 17 दिसम्बर को प्रातः 06:15 से 11:00 बजे के मध्य सफलतापूर्वक नियमत पेयजल वतरण कया गया।

ताल और पाल को कचरामुक्त बनाएंगे

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत अमृतसागर क्षेत्र के रहवा सयों ने लया अपने क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प

रतलाम 17 दिसम्बर । स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाए जाने के प्रयासों में तेजी आ रही है। हर दिन शहर में कई स्थानों को कचरा मुक्त किया जा रहा है। इन कचरा मुक्त स्थानों पर सफाई मत्र समूह के माध्यम से आकर्षक रांगोली का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। गुरुवार को शहर के अमृतसागर इलाके के रहवा सयों ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने व स्वच्छता सर्वेक्षण में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का संकल्प लया है। इस क्षेत्र में स्थित अमृतसागर तालाब और इसकी पाल के निकट वर्षों से जमे कचरा स्थल को हटाए जाने का काम निगम प्रशासन निरन्तर करते आ रहा है।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लए नगर पालक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मत्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इस मौके पर रहवा सयों और राह गयों को संकल्प दिलाया जा रहा है क मेरा योगदान है मेरी शान है स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों पर बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवा सयों से अपील की है क वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान गुरुवार को सफाई मत्र समूह की टीम ने अमृतसागर सहित आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवा सयों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोवड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया क जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में हमें मास्क का उपयोग दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 व्यक्तियों पर कया जुर्माना

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी  
गंदगी व मलबा फैलाने अतिक्रमण करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 17 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के व भन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालयों में कर्मचारियों की इ्यूटी लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले पुजा सुतकार बाजना बस स्टैण्ड मनीष टांक घांस बाजार आशीष मेहता गणेश देवरी व बंटी नागर नाहरपुरा पर 500.500 रुपये का जुर्माना कया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी व मलबा फैलाने व अतिक्रमण करने पर कटारिया ज्वैलर्स पर 1000ए राजरानी फेन्सी हाउस पर 500 व गो वन्द घांस बाजार पर 100 रुपये का जुर्माना कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने अतिक्रमण करने पर संबंधितों के वरुद्ध जुर्माना कये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 इस्टबीन  
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी  
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 17 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 इस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री फल-सब्जी के छिलके घांस व पेड़ की पत्तियां राखे चाय पत्ती बचा हुआ खाना आदि के लये हरा इस्टबीन सूखा कचरा अर्थात् पुस्ता अखबार लोहा कपड़ा शाल कांच पैकंग मटेरियल टुटे खलौने प्लास्टिक आदि के लये नीला इस्टबीन घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बे पेस्टीसाइड के डब्बे सीएफल ट्यूबलाईट थर्मामीटर बैटरी आदि के लये काला इस्टबीन तथा मेडकल वेस्ट अर्थात्

सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला इस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

सायर चबुतरा पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर बकाया रा श जमा कर अधभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें नागरिकों ने 44ए67ए854ए. संपत्तिकर व 13ए41ए485ए. जलकर जमा कराया संपत्तिकर व जलकर की बकाया रा श जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह रतलाम 17 दिसम्बर । षासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोवड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गरावटए सर्वस सेक्टर आदि में ष थलता परिलक्षत होने के फलस्वरूप निगम से संबंधत करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया रा ष एक मुप्त जमा कराने पर अधभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया रा ष जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 26 अक्टूबर से आयोजित कये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबंधत भवन की कप्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष एक मुप्त रा ष जमा कर दी जा रही अधभार में छूट का लाभ ले सकते है। निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 2ए38ए224ए. व जलकर 43ए460ए.ए मालवा नगर ष वर में संपत्तिकर 3ए66ए429ए. व जलकर 43ए830ए.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए69ए336ए. व जलकर 41ए850ए.ए वनोबा नगर पानी की टंकी के पास ष वर में संपत्तिकर 3ए94ए652ए. व जलकर 1ए06ए050ए.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास ष वर में संपत्तिकर 4ए54ए616ए. व जलकर 84ए000ए.ए तिरूपति नगर में ष वर में संपत्तिकर 55ए700ए. व जलकर 14ए800ए.ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 65ए133ए. व जलकर 18ए430ए.ए इन्द्रलोक नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए04ए310ए. व जलकर 37ए520ए.ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर

1ए63ए070ए. व जलकर 41ए200ए.ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 54ए244ए. व जलकर 31ए700ए.ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए87ए800ए. व जलकर 13ए500ए.ए हाट रोड माताजी मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 89ए439ए. व जलकर 29ए500ए.ए डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए23ए843ए. व जलकर 80ए000ए.ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 78ए232ए. व जलकर 24ए800ए.ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 95ए424ए. व जलकर 46ए350ए.ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 2ए61ए000ए. व जलकर 45ए500ए.ए लक्कड़पीठा ष वर में संपत्तिकर 2ए58ए000ए. व जलकर 90ए310ए.ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए39ए000ए. व जलकर 1ए58ए845ए.ए आनन्द कालोनी ष वर में संपत्तिकर 94ए633ए. व जलकर 24ए500ए.ए प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए31ए093ए. व जलकर 68ए580ए.ए महावीर नगर ष वर में जलकर 45ए550ए.ए पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर 5ए91ए492ए. व जलकर 1ए31ए930ए.ए चौगानिया भेरू मंदिर ष वर में संपत्तिकर 1ए71ए109ए. व जलकर 1ए26ए280ए. की एक मुष्ट बकाया रा ष जमा कराकर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकांे ने अब तक आयोजित ष वरों मेें 44ए67ए854ए. संपत्तिकर व 13ए41ए485ए. जलकर की रा ष जमा कराई।

वाई वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के तहत वाई क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 18 दिसम्बर को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वाई क्रमांक 43 व 45 के लये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पासए वाई क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 23 से 24 दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पासए वाई क्रमांक 33 व 34 के लये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वाई क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेशन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क षासन द्वारा निगम से संबं धत करों की एक मुष्ट रा ष जमा कराने पर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ नागरिक अ धक से अ धक ले सकें इस हेतु वाई वार ष वर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वाई में लगाये जा रहे ष वर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुष्ट रा ष जमा कर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ए. ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ए. ;रूपये पचास हजार) से अ धक तथा रूपये 1ए00ए000ए. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिशत की

छूट व संपत्तिकर तथा अधभार की राष रूपये 1ए00ए000ए. ;रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधभार की राष रूपये 10ए000ए. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधभार की राष रूपये 10ए000ए. ;दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50ए000ए. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधभार में 75 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधभार की राष रूपये 50ए000ए. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की अधभार सहित कुल देय राष रूपये 20ए000ए. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधभार में 100 प्रतिशत की छूटए अधभार सहित कुल देय राष रूपये 20ए000ए. ;बीस हजार) से 50ए000ए. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधभार सहित कुल देय राष रूपये 50ए000ए. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/कराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की बकाया राष वार्डवार आयोजित बकाया ष वर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

56 दिनों में 89 वॉल्व व 406 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 17 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 17 दिसम्बर तक 89 वॉल्व व 406 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 17 दिसम्बर गुरुवार को वनोबा नगर मुख्य मार्ग व बबीता जी के घर के सामनेए टेलीफोन नगर भण्डारी जी के घर के पास व मोहन नगर में पाईप लाईन लीकेज दुरस्ती के साथ ही इन्द्रलोक नगर मुख्य मार्ग शुक्ला जी के घर के पासए मार्निंग स्टार स्कूल के पास व वनोबा नगर पुरानी पानी की टंकी के पास वॉल्व की मरम्मत करवाई गई।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नवीन हाईड्रो लक केटल कैचर से पकड़े 7 मवेशी

स्वच्छंद वचरण करने वाले 420 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 17 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोंए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 17 दिसम्बर तक 420 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

नगर निगम द्वारा नवीन हाईड्रो लक केटल कैचर क्रय कया गया हैए नवीन हाईड्रो लक कैटल कैचर से मवेशियों को पकड़ने में सुवधा होने के साथ समय भी कम लगता है व मवेशी भी आसानी से वाहन में चढ़ जाते हैं तथा उन्हें कसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 17 दिसम्बर तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 420 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 17 दिसम्बर गुरुवार को नगर के व भन्न क्षेत्रों से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन कया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रुपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह ए झोन प्रभारी श्री करण चौहान ए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार ख.सं. व. हेमन्त 17<sup>ण</sup>12<sup>ण</sup>2020 धन.पा.निगम ए रतलाम.